न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 62/2020 (2020/00462) दर्ज दिनांक 06.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. लेहरू आत्मज सुरतराम गुर्जर
2. लादु आत्मज सुरतराम गुर्जर

सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. काना आत्मज लादु गुर्जर
2. सुरजमल आत्मज रेखा गुर्जर
3. मोहन आत्मज रामा गुर्जर
4. भैरू आत्मज जरसा गुर्जर
5. गोपी आत्मज जरसा गुर्जर
6. ररजु बेवा जरसा गुर्जर
7. रामलाल आत्मज कुका गुर्जर
8. शंकर आत्मज कुका गुर्जर
9. नानु आत्मज हजारी गुर्जर
10. लहरू आत्मज हजारी गुर्जर
11. मीठु आत्मज हजारी गुर्जर
12. नारायण पिता सुरतराम गुर्जर

सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–20.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की [illegible] आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 12 के खातेदारी अधिकार एवं [illegible] की आराजी संख्या 469 रकबा 0.49 हे0, आराजी संख्या 471 [illegible] कुल रकबा 0.62 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर [illegible] भूमि प्रार्थीगण के [illegible]दारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 20[illegible] संलग्न हैं। प्रार्थीगण [illegible] उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:40 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 12 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 469 रकबा 0.49 हे0, आराजी संख्या 471 रकबा 0.13 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20 .11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner